न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू 29-12-2023

मुकदमा नं० 286 / 2023

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

केस आई०डी० नम्बर 2023/610

उनवान

श्री राजेश वर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी खेड़ा जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

---वादीगण 03

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली, राज०

---प्रतिवादीगण-07

फर्द अहकाम

तारीख	अहकाम
2.2023	यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.01.2024 को पेश हो।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

23/2m पत्रावली प्रस्तुत आज नए [illegible] द्वारा कार्य ग्रहण किया गया है अतः पत्रावली [illegible] अनुसार दिनांक 27-6-24 को पेश हो।

3 6/2m पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित। वादीगण व वादीगण वकील ने अवगत कराया कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वादीगण व वादीगण वकील ने प्रकरण कोर्ट फीस में स्थानांतरित कराना चाहते हैं। अतः मुकदमा 286/23 आज बनाम तहसीलदार कोर्ट फीस में स्थानांतरित किया जाता है। पत्रावली कोर्ट फीस में [illegible] की जाए।

उमाशंकर

उमाशंकर

J.d.

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:11:48 IST
Reason: SelfAttested